भारत सरकार
Government of India
वित्त मत्रांलय, राजस्व विभाग
Ministry of Finance, Department of Revenue
केन्द्रीय कर आयुक्त का कार्यालय
Office of the Commissioner of Central Tax
5 वीं मंजिल, केंद्रीय राजस्व उपभवन, बेंगलुरु दक्षिण आयुक्तालय,क्वींस रोड, बेंगलुरु 560 001
5th Floor, C.R. Building Annexe, Bengaluru South Commissionerate
Queens Road, Bengaluru 560 001
Email: tech-bsouth@gov.in

File No. GEXCOM/RTI/APP/4192/2026-TECH Date: As Approved

To,
Shri Goutham Ganesh M H
[redacted]

महोदय / Sir,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री गौतम गणेश एम. एच., हासन, कर्नाटक द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।

Sub: Information sought under RTI Act, 2005 by Shri Goutham Ganesh M H, Hassan Karnataka– Reg.

*****

कृपया आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत दिनांक 05.08.2026 को पंजीकरण संख्या CCEBL/R/E/26/00098 के माध्यम से प्रस्तुत आपके आरटीआई आवेदन का संदर्भ ग्रहण करें।

Please refer to your RTI applications vide registration no. CCEBL/R/E/26/00098 dated 05.08.2026 under Section 6(3) of the RTI Act, 2005.

2. आवेदन का परीक्षण इस आयुक्तालय में उपलब्ध अभिलेखों के संदर्भ में किया गया है। बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है।

The application has been examined with reference to the records available in this Commissionerate. Point-wise information, is furnished below.

बिंदु संख्या 1 – सार्वजनिक सूचना प्रदर्शनों, बोर्डों एवं नामपट्टिकाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/04/2022 दिनांक 21.06.2022 के कार्यान्वयन हेतु संगठन द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्रों, कार्यालय आदेशों, निर्देशों एवं दिशानिर्देशों की प्रतियां।

Point No. 1 - Copies of all circulars, office orders, instructions and guidelines issued by the organisation for implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 regarding the use of regional languages in public information displays, boards and nameplates.

बिंदु संख्या 1 का उत्तर: इस आयुक्तालय के अभिलेखों की जांच करने पर यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/04/2022 दिनांक 21.06.2022 का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए अथवा उसे अग्रेषित करते हुए आयुक्तालय स्तर पर कोई पृथक परिपत्र / कार्यालय आदेश / स्थायी आदेश जारी नहीं किया गया है।

Reply to Point No. 1: On examination of the records of this Commissionerate, it is informed that this office has not issued any separate Commissionerate-level circular / office order / standing order specifically quoting or forwarding Department of Official Language OM No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022.

बिंदु संख्या 2 – कर्नाटक में स्थित संगठन के कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में स्थापित सभी सार्वजनिक सूचना प्रदर्शनों, बोर्डों, नामपट्टिकाओं, प्रवेश द्वार बोर्डों, दिशात्मक संकेतकों, स्वागत कक्ष में प्रदर्शित सूचनाओं तथा डिजिटल डिस्प्ले बोर्डों में कन्नड़ भाषा के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु की गई कार्रवाई का विवरण।

Point No. 2 - Details of the action taken to ensure the use of Kannada in all public information displays, boards, nameplates, entrance boards, directional signages, reception displays and digital display boards installed at the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.

बिंदु संख्या 2 का उत्तर: यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस कार्यालय में स्थापित बोर्डों, नामपट्टिकाओं एवं प्रवेश द्वार बोर्डों पर कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। उक्त बोर्ड/संकेतक तीनों भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी, हिंदी एवं कन्नड़ में प्रदर्शित किए गए हैं।

Reply to Point No. 2: It is submitted that Kanada is being used on the boards, nameplates, and entrance boards installed at this office. The said boards/signages are displayed in all three languages, viz., English, Hindi, and Kannada.

बिंदु संख्या 3 — कर्नाटक में स्थित संगठन के कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/04/2022 दिनांक 21.06.2022 के कार्यान्वयन की पुष्टि हेतु तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्टों, अनुपालन रिपोर्टों, आंतरिक लेखा-परीक्षण रिपोर्टों अथवा समीक्षा रिपोर्टों की प्रतियां।

Point No. 3 — Copies of inspection reports, compliance reports, internal audits or review reports prepared to verify implementation of Department of Official Language

Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.

बिंदु संख्या 3 का उत्तर: बिंदु संख्या 2 के उत्तर में उल्लिखित अनुसार, साइन बोर्ड, नामपट्टिकाएं एवं प्रवेश द्वार बोर्डों में कन्नड़ भाषा को शामिल किया गया है।

Reply to Point No. 3: As furnished against point 2 the sign boards, nameplates, entrance boards are inclusive of kannada language.

बिंदु संख्या 4 — कर्नाटक में स्थित संगठन के कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/04/2022 दिनांक 21.06.2022 के अनुपालन में जहां भी कमी पाई गई हो, वहां की गई सुधारात्मक कार्रवाई से संबंधित फाइल टिप्पणियों, पत्राचार एवं संचार की प्रतियां।

Point No. 4 — Copies of file notings, correspondence and communications relating to corrective measures taken wherever non-compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 was observed in the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.

बिंदु संख्या 4 का उत्तर: जैसा कि उपर्युक्त में उल्लेख किया गया है, कन्नड़ भाषा को शामिल करने संबंधी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

Reply to Point No. 4: As mentioned above the inclusion of Kannada is complied with.

बिंदु संख्या 5 — कर्नाटक में स्थित संगठन के कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/04/2022 दिनांक 21.06.2022 के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी अथवा विभाग का विवरण।

Point No. 5 — Details of the officer or department responsible for monitoring and ensuring compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organisation located in Karnataka.

बिंदु संख्या 5 का उत्तर: जैसा कि उपर्युक्त में उल्लेख किया गया है, उक्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

Reply to Point No. 5- As mentioned above, the instructions have been complied with.

3. यदि आवेदक आरटीआई के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, **श्री मिनहाज उद्दीन निज़ामी, संयुक्त आयुक्त (केंद्रीय कर), बेंगलुरु दक्षिण आयुक्तालय, क्वीन्स रोड, बेंगलुरु – 560 001** के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

If, the applicant is not satisfied with the reply of RTI, he may prefer an appeal before the First Appellate Authority, Shri Minhaj Uddin Nizami, Joint Commissioner of Central Tax, Bengaluru South Commissionerate, Queen's Road, Bengaluru – 560 001, within 30 days of the receipt of this letter.

Yours sincerely,

Digitally signed by
Purushotham Gopalakrishna
Date: 21-09-2026 15:37:27

(पुरुषोत्तम जी / PURUSHOTHAM G)
सहायक आयुक्त (सीपीआईओ)/Assistant Commissioner (CPIO)
बेंगलुरु दक्षिण आयुक्तालय/ Bengaluru South Commissionerate

Copy to:

The Assistant Commissioner of Central Tax (CPIO), Principal Chief Commissioner's Office, Central Tax, Bengaluru Zone, Bengaluru for information.

ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಎಂ ಹೆಚ್
Goutham Ganesh M H